01

पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी

सत्ता का विकेन्द्रीकरण

↓

पंचायती राज निकाय	नगरीय निकाय
↓	↓
73वां संविधान संशोधन–1992	74वां संविधान संशोधन–1992

73वां और 74वां संविधान (संशोधन) अधिनियम 1992

विवरण	पंचायती राज	नगरीय निकाय
संविधान संशोधन का क्रम	73वां	74वां
संवैधानिक संस्था	पंचायती राज	नगरीय निकाय
लोकसभा में पारित	22 दिसम्बर 1992	22 दिसम्बर 1992
राज्यसभा में पारित	23 दिसम्बर 1992	23 दिसम्बर 1992
राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर	20 अप्रैल 1993	20 अप्रैल 1993
अधिनियम का लागू होना	**24 अप्रैल 1993**	**1 जून 1993**
अनुसूची	11वीं अनुसूची	12वीं अनुसूची
कार्य हेतु विषय संख्या	**29 विषय**	**18 विषय**
संविधान का भाग	भाग– 9	भाग – 9 'क'
अनुच्छेद	**अनु. 243 (A) से 243 (O)**	**अनु. 243 (P) से 243 (Zg)**

नोट– 24 अप्रैल को प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
- तत्कालीन राष्ट्रपति – शंकरदयाल शर्मा
- तत्कालीन प्रधानमंत्री – पी.वी. नरसिम्हा राव

पंचायती राज निकाय का नामकरण (भारत एवं छत्तीसगढ़ में)

स्तर	नामकरण		छ.ग. में संख्या
	भारत	छत्तीसगढ़	•
ग्राम स्तर में	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	11,664
खण्ड/ब्लॉक स्तर में	पंचायत समिति	जनपद पंचायत	146
जिला स्तर में	जिला परिषद्	जिला पंचायत	27

नोट– गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में जिला पंचायत बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या 28 हो जायेगी।
– भारत के अन्य सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं की विस्तृत सूची पेज क्रमांक 15 पर देखें।

जमानत राशि

पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की जमानत राशि

पद	अनारक्षित वर्ग	आरक्षित वर्ग	
पंच	50 रू.	25 रू.	[CG Vyapam (ESC) 2017]
सरपंच	1000 रू.	500 रू.	[CG Vyapam (ESC) 2017]
जनपद पंचायत सदस्य	2000 रू.	1000 रू.	[CG Vyapam (ESC) 2017]
जिला पंचायत सदस्य	4000 रू.	2000 रू.	[CG Vyapam (ESC) 2017]

नोट – आरक्षित वर्ग में – SC, ST, OBC व महिला वर्ग शामिल है।

नगरीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की जमानत राशि

नाम	अनारक्षित वर्ग	आरक्षित वर्ग
नगर पंचायत पार्षद	1000 रू.	500 रू.
नगर पालिका परिषद पार्षद	2000 रू.	1000 रू.
नगर पालिक निगम पार्षद	3000 रू.	1500 रू.

पंचायत में सदस्यों की संख्या एवं चुनाव

[CG PSC (AP) 2016], CG Vyapam (SAAF) 2016]

पद का नाम	वार्ड / क्षेत्र / पद		चुनाव प्रक्रिया	छ.ग. में संख्या
	न्यूनतम	अधिकतम		
पंच	10	20	प्रत्यक्ष	1,60,725
सरपंच	01	01	प्रत्यक्ष	11,664
उपसरपंच	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	11,664
जनपद पंचायत सदस्य	10	25	प्रत्यक्ष	2,979
जनपद पंचायत अध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	146
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	146
जिला पंचायत सदस्य	10	35	प्रत्यक्ष	400
जिला पंचायत अध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	27
जिला पंचायत उपाध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	27

- नामजद – जिसका नाम किसी काम या चुनाव हेतु मनोनीत किया हो या जिसका नाम किसी बात के लिये निश्चित किया गया हो या चुन लिया गया हो।

न्यूनतम उम्र

मतदान उम्र	पंचायत निर्वाचन उम्मीदवार	नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु	नगरीय निकाय में अध्यक्ष एवं महापौर पद हेतु
18 वर्ष	21 वर्ष	21 वर्ष	21 वर्ष [CGVyapam(ADEO)2017]

नोट – विधानसभा व लोकसभा – 25 वर्ष
विधान परिषद एवं राज्यसभा – 30 वर्ष
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल – 35 वर्ष

छ.ग. पंचायती राज में वार्ड एवं सदस्य की संख्या

क्षेत्र का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	
वार्ड (ग्राम पंचायत)	10	20	[CGPSC(Reg.)2021]
जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र	10	25	[CGPSC(Reg.)2021]
जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र	10	35	[CGPSC(Reg.)2021]

छ.ग. नगरीय निकाय में वार्ड एवं सदस्य की संख्या

क्षेत्र का नाम	न्यूनतम	अधिकतम
नगर पंचायत वार्ड	15	40
नगर पालिका परिषद वार्ड	15	40
नगर पालिक निगम वार्ड	40	70

नोट – नगर पालिक निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर वार्डों की संख्या अधिकतम 85 होगी।

पंचायत पदाधिकारी

निकाय	प्रशासनिक प्रमुख	राजनैतिक प्रमुख
जिला पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (C.E.O)	अध्यक्ष
जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (C.E.O)	अध्यक्ष
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	सरपंच

चुनाव मतपत्र का रंग (Colour of ballot paper)

पद	मतपत्र का रंग
1. पंच (Panch)	सफेद
2. सरपंच (Sarpanch)	नीला
3. जनपद पंचायत सदस्य (Member of Janpad Panchayat)	पीला
4. जिला पंचायत सदस्य (Member of Jila Panchayat)	गुलाबी

नोट – इन मतपत्रों का रंग स्थायी नहीं है।

पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति

- अविश्वास प्रस्ताव
  - धारा–21 (सरपंच और उपसरपंच)
  - धारा–28 (जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष)
  - धारा–35 (जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष)
- रिकॉल (धारा–21 (क))
- निलम्बन (धारा–39)
- हटाना (धारा–40)
- पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र (धारा–37)

अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता

1. सरपंच या उपसरपंच के लिए → नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी (राज़स्व)
2. जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए → डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी
3. जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए → कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर

अविश्वास प्रस्ताव की अपील

1. सरपंच या उपसरपंच → कलेक्टर को अपील करेगा। (7 दिनों के भीतर) → अंतिम निर्णय 30 दिन के भीतर
2. जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष → संचालक पंचायत को अपील करेगा। (10 दिनों के भीतर) → अंतिम निर्णय 30 दिन के भीतर
3. जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष → राज्य सरकार को अपील करेगा। (15 दिनों के भीतर) → अंतिम निर्णय 45 दिन के भीतर

किसी पंचायत के पदाधिकारी को उसके पद से निलंबन हेतु अधिकृत प्राधिकारी

- ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच एवं पंच को → अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
- जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को → कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर
- जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को → कलेक्टर (विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा)

किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाने हेतु अधिकृत प्राधिकारी

ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को	जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को	जिला पंचायत के पदाधिकारियों को
↓	↓	↓
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	संचालक, पंचायत

पंचायत पदाधिकारियों का त्याग पत्र

सरपंच व उप–सरपंच	जनपद पंचायत अध्यक्ष	जिला पंचायत अध्यक्ष
↓	↓	↓
जिला संयुक्त संचालक/उप–संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	कलेक्टर

नोट –
- पंच, सरपंच को त्याग पत्र सौंपेंगे।
- जनपद पंचायत सदस्य अपना त्याग पत्र जनपद पंचायत अध्यक्ष को सौंपेंगे।
- जिला पंचायत सदस्य अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपेंगे।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय/न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन (अनुच्छेद– 243(O) के तहत्)

(किन्तु पंचायती राज अधिनियम के तहत् किसी निर्वाचन को, याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है– [CG PSC (AP) 2016]

ग्राम पंचायत मामले में	जनपद पंचायत मामले में	जिला पंचायत मामले में
↓	↓	↓
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) [Sub.- Divisional Officer (Revenue)]	कलेक्टर को (Collector)	संचालक पंचायत को (Director Panchayat)

पंचायत को विघटित करने की शक्ति

(राज्य सरकार या विहित पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पंचायत छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत के अधीन कानूनों व कर्तव्यों का व्यतिक्रमण कर रहा हो या दुरूपयोग कर रहा हो या सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं मान रहा हो तो यथोचित जांच कराकर पंचायत को विघटित किया जा सकता है। इस हेतु निम्नलिखित विहित पदाधिकारी अधिकृत हैं–

ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
↓	↓	↓
संचालक पंचायत	संचालक पंचायत	संचालक पंचायत

पंचायत को आदेश देने की शक्ति

- ग्राम पंचायत → कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर
- जनपद पंचायत → कलेक्टर
- जिला पंचायत → संचालक पंचायत

आदेशों व कार्रवाई के विरूद्ध अपील और पुनरीक्षण

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों के तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेश या उनके द्वारा की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण का आवेदन राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्राधिकृत पदाधिकारी को दिया गया है–

- ग्राम पंचायत → अनुविभागीय अधिकारी
- जनपद पंचायत → कलेक्टर
- जिला पंचायत → संभागीय आयुक्त

विवादों का विनिश्चय

- दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच → राज्य सरकार द्वारा
- पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच → राज्य सरकार द्वारा
- पंचायत और छावनी बोर्ड (Cantonment Board) के बीच → राज्य सरकार का विनिश्चय जो केन्द्र सरकार के अनुमोदनाध्यधीन

नोट – यदि दो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो तो इसका विनिश्चय संयुक्त सम्मेलन द्वारा किया जाएगा।

पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक (Public Servants in Panchayat Institutions)

[CG PSC(Sci. Off.)2018]

(राजनैतिक और प्रशासनिक प्रमुख)

- ग्राम पंचायत में → सरपंच, उपसरपंच एवं पंच [CG PSC(Sci. Off.)2018] + सचिव
- जनपद पंचायत → [CG PSC(Sci. Off.)2018] जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष + मुख्य कार्यपालन अधिकारी
- जिला पंचायत → [CG PSC(Sci. Off.)2018] जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष + मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नोट – ऊपर वर्णित प्रत्येक स्तर के सेवक लोक सेवक कहलाते हैं।

पंचायत के पदाधिकारियों पर नियंत्रण

पंचायत स्तर	नियंत्रक अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1. ग्राम पंचायत	एस.डी.एम./एस.डी.ओ.पी.	कलेक्टर
2. जनपद पंचायत	कलेक्टर	संचालक पंचायत
3. जिला पंचायत	संचालक पंचायत	राज्य शासन

पंचायत के सामान्य बैठक

- ग्राम सभा — एक वर्ष में 6 बार बैठक (3 माह में एक बार)
- ग्राम पंचायत — प्रत्येक माह 1 बार
- जनपद पंचायत — प्रत्येक माह 1 बार
- जिला पंचायत — प्रत्येक माह 1 बार

पंचायतों के बैठक बुलाना

बैठक	बैठक बुलाता कौन है ?			सूचना	तरीका
	ग्राम	जनपद	जिला		
पहली बैठक	सचिव	सी.ई.ओ.	सी.ई.ओ.	7 दिन पूर्व	1. सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करके।
सामान्य	सरपंच	अध्यक्ष	अध्यक्ष	7 दिन पूर्व	2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया द्वारा
वार्षिक	सरपंच	अध्यक्ष	अध्यक्ष	7 दिन पूर्व	3. डौंडी पिटवाकर।
विशेष बैठक	1/2 सदस्य जिला कलेक्टर	1/2 सदस्य जिला कलेक्टर	1/2 सदस्य जिला कलेक्टर	3 दिन पूर्व	

कोरम/गणपूर्ति

- ग्राम पंचायत – **1/2 या 50%** (कुल पंचों का 1/2) [CGPSC(EAP)2016]
- जनपद पंचायत – कुल सदस्यों का 1/3 [CGPSC(EAP)2016]
- जिला पंचायत – कुल सदस्यों का 1/3 [CGPSC(EAP)2016]
- ग्राम सभा – कुल सदस्यों का 1/10
- अनुसूचित क्षेत्र का ग्रामसभा – कुल सदस्यों का 1/3

नोट – प्रत्येक पंचायत या ग्रामसभा की गणपूर्ति में कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है।

पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है
(Agent can be Appointed by a candidate in Panchayat Elections) [CG PSC(AG-3)2018]

निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent)
[CGPSC(YWO)2018]
- शिविर में पर्ची बांटते हैं।

मतदान अभिकर्ता (Polling Agent)
[CGPSC(YWO)2018]
- मतदान स्थल पर होता है।

मतगणना अभिकर्ता (Counting Agent)
[CGPSC(YWO)2018]
- गणना स्थल पर होता है।

- निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाती है – [CGPSC(AG-3)2018]
  (i) लेखा अभिकर्ता (Account's Agent)
  (ii) प्रचार अभिकर्ता (Canvasing Agent)
  (iii) मुख्य अभिकर्ता (Chief Agent)

1. एक साथ चुनाव लड़ सकता है
- एक पंच और सरपंच का [CG PSC(Lib)2017]
- एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का
- एक पंच और जिला पंचायत सदस्य का
- एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का [CGPSC(Lib)2017]
- एक सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य का [CG PSC(Lib)2017]
- एक जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का [CGPSC(Lib)2017]

2. एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है
- दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का [CG PSC(Lib)2017]
- एक ग्राम पंचायत के दो वार्डो से [CG PSC(Lib)2017]
- दो निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का [CG PSC(Lib)2017]
- दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का [CGPSC(Lib)2017]

छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव

प्रत्यक्ष चुनाव
जब किसी पंचायत पदाधिकारी चुनाव में, जनता सीधे तौर पर मतदान करती है तो ऐसी चुनाव प्रक्रिया को प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है।

1. ग्राम पंचायत – सरपंच और पंच
2. जनपद पंचायत – जनपद पंचायत सदस्य
3. जिला पंचायत – जिला पंचायत सदस्य

अप्रत्यक्ष चुनाव
जब किसी पंचायत पदाधिकारी चुनाव में, जनता सीधे तौर पर मतदान न करके उनके द्वारा चयनित जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाये तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है।

1. ग्राम पंचायत – उप–सरपंच
2. जनपद पंचायत – अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
3. जिला पंचायत – अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष